न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	कान्हू सिंह बनाम गजेन्द्र सिंह मु.नं.– 30/23 किस्म – T.D.
	प्रा.पत्र P.I. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र P.I. दिनांक 30.10.25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
	30.10.25 पत्रावली पेश हुई। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल मूल वाद के साथ नत्थी हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/2023	20.06.2023	30.10.2025

बउनवान

1. काडू सिंह पुत्र रामकुंवार, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बलवीर सिंह पुत्र रामकुंवार, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. देवीसिंह पुत्र रामकुंवार, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..सायलान/प्रार्थीगण

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. धौली देवी पत्नी हरिराम, निवासी छोंकडा का बास, हिंगोटा तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. हरिराम पुत्र रामकिशोर, निवासी छोंकडा का बास, हिंगोटा तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. मानवेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. जगदीश सिंह पुत्र मिट्ठू सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, हाल निवासी जवाहर नगर महुकला, दौसा।
6. भरतसिंह पुत्र मिट्ठू सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, हाल निवासी जवाहर नगर महुकला, दौसा।
7. उम्मेदसिंह पुत्र मिट्ठू सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, हाल निवासी जवाहर नगर महुकला, दौसा।
8. हेमसिंह पुत्र गोविन्द सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. हनुमान सिंह पुत्र सरवण, निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा, हाल निवासी खोहरा, विशाल कृष्णा कुंज प्लॉट नम्बर 143 जयपुर राज.।
10. मंजीत पुत्र भंवर, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. यशपाल पुत्र भंवर, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. सोहन सिंह पुत्र रामसिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
13. प्रभू सिंह पुत्र मूल सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
14. गोविन्द सिंह पुत्र मूल सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
15. दिलिप सिंह पुत्र सरूप सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
16. भानू सिंह पुत्र सरूप सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
17. विजय सिंह पुत्र सरूप सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
18. सुनिता पुत्री सरूप सिंह, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा,दौसा।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
20. उपपंजीयक मण्डावर, जिला दौसा।

..गैरसायलान/अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री रामवतार सिंह नरूका।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 – श्री प्रीतम चन्द सैनी।

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

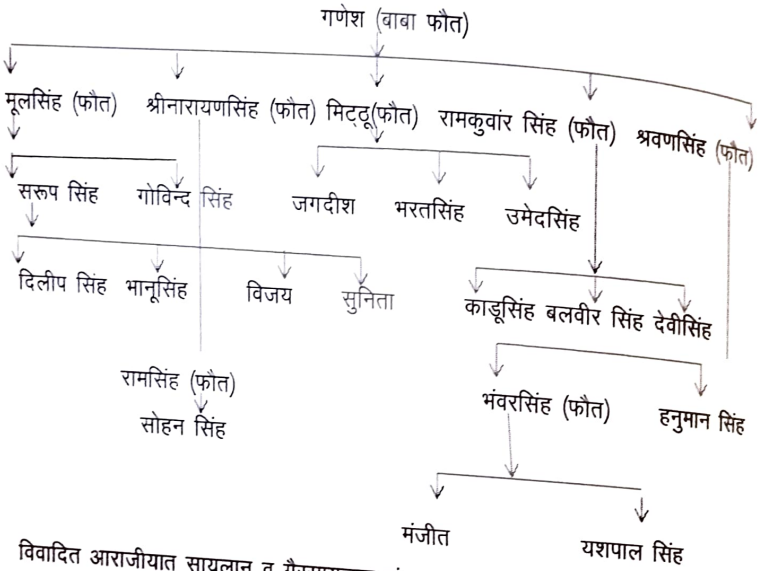

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खतोनी सं. 557 के खसरा सं. 1878 रकबा 0.16 हैक्टे., 577 रकबा 0.30 हैक्टे., 585 रकबा 0.45 हैक्टे., 586 रकबा 0.37 हैक्टे., 587 रकबा 0.05 हैक्टे., कुल किता 05, कुल रकबा 1.33 हैक्टे. ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। सायलान एवं गैरसायल सं. 1 एवं 4 लगायत 18 के बाबा गणेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह की कब्जे काश्त की आराजी की खातेदारी की आराजी थी जिसका सजरा निम्न प्रकार है–

विवादित आराजीयात सायलान व गैरसायलान सं. 1 व 4 लगायत 18 को विरासत से प्राप्त हुई है। सायल मृतकगण का पिता रामकुंवार, मृतक बाबा गणेश सिंह का पुत्र होने के कारण जन्म से ही उसका वादग्रस्त आराजी में हक हकूक निहित है। सायलान के पिता बाहर नौकरी करने से गैरसायलान ने चतुर चालाकी रिसोर्सफुल तरीके से अपने पिता गणेश सिंह की आराजी का नामांतकरण संख्या 180 दिनांक 10.02.1966 का भाई मूलसिंह, मिठठू सिंह व सरवण सिंह के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया है। सायल के पिता बाहर रहने से पता नहीं चल सका। गैरसायलान ने राजस्व कर्मचारियों से साजकर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया व सायलान के पिता के हिस्से की भूमि का न तो हकत्याग किया, नहीं किसी प्रकार से हक हकूकों का हस्तान्तरण किया है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये ही नामान्तकरण भरकर स्वीकार करवाया गया है जिससे सायल के अधिकारों का हनन होता है। सायलान के पिता मृतक गणेश के पुत्र होने के कारण वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सायलान अपने पिता रामकुंवार के हिस्से पर आज भी कब्जा काश्त हैं जिसमें किसी का कोई लेना–देना नहीं है। गैरसायलान बहुत चतुर चालाक होने से अब सायलान आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान कर बेदखल करने पर आमादा हैं। गैरसायलान के नाम होने से इस आराजी को बेचान कर बेदखल करने पर आमादा हैं। दिनांक 01.06.2023 को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

अपनी आराजी में जोत लगाने सायलान गये तो गैरसायलान हाथों में लाठी, फरसे लेकर आ गये व बुरी बुरी गालियां देने लगे व कहने लगे कि आज तक आपने इन खेतों की फसल को खा कमा लिया। आज के बाद तुम्हें इन खेतों में जोत नहीं लगाने देगें व दीगर व्यक्तियों को बेचान करके रहेगें क्योंकि यह आराजी अब हमारे नाम हो चुकी है, की धमकी देने लगे। सायल ने गैरसायलान से तहसील चलकर बंटवारा कराने की कही थी परन्तु बंटवारा कराने से मना कर दिया। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। गैरसायलान अपनी कुचेष्टा में सफल हो गये तो सायलान बर्बाद हो जावेगें, बिना बटवारा किये भूमि का बेचान करने पर उतारू है जिससे सायलान व गैरसायलान के मध्य झगडे होने की सम्भावना है। इसलिये सायलान का तकास्मा होना कानूनन आवश्यक है। विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2023 को सायलान को गैरसायलान द्वारा आराजी को जोत नहीं देने व दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद किया जाता है तो इन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। अतः अर्ज है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें गैरसायलान प्रतिबन्धित रहे। राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 एवं 4 लगा. 20 न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी स. 2 तथा 3 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि आराजीयात खतौनी सं. 557 के खसरा सं. 1878, 577, 585, 586, 587 वाके ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बाबडीखेडा तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

3. अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही है लेकिन उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उक्त भूमि विवाद से रहित है। सायलान द्वारा उनके परिवार का सजरा गलत रूप से पेश किया गया है जबकि सायलान एवं गैरसायलान के परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

गणेश सिंह (फौत)				
मूलसिंह (फौत) 1 प्रभूसिंह 2 गोविन्दसिंह 3 स्वरूपसिंह (फौत) 3/1 दिलीपसिंह 3/2 भानूसिंह 3/3 विजयसिंह	श्री नारायणसिंह (फौत) 1 रामसिंह (फौत) 1/1 सोनूसिंह	मीठूसिंह (फौत) 1 जगदीश सिंह 2 भरतसिंह 3 उम्मेदसिंह 4 जयसिंह(फौत) 4/1 मंजू 4/2 भंवरसिंह	रामकुवारसिंह (फौत) 1 काडूसिंह 2 बलवीर सिंह 3 देवीसिंह 4 भंवरी (फौत) 5 पांचू	श्रवणसिंह (फौत) 1 हनुमानसिंह 2 गुमानसिंह 3 भंवरसिंह 3/1 उर्मिला 3/2 कृष्णा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

3/4 सुनिता 4 हरिसिंह (फौत) 4/1 मंजू कंवर 4/2 अशोकसिंह 4/3 हरेन्द्रसिंह		4/3 करणसिंह 4/4 शिल्पी	6 गीता	3/3 मंजीत 3/4 यशवाल 3/5 रधुवीरसिंह 4 पुष्पा 5 राजू 6 सरोज

सायलान का यह कहना गलत है कि उक्त भूमि उन्हें विरासत से प्राप्त हुई है चॅकि सायलान एवं गैरसायल सं. 1 व 4 लगायत 18 ने आपसी सहमति से अपनी शामलाती सम्पूर्ण सम्पति का पारिवारिक बंटवारा किया था जिसमें सायलान के पिता एवं गैरसायलान के पिता ने साझेदारी में खाता सं. 62 की भूमि को साझेदारी में खरीद कर उसकी रजिस्ट्री रामकुंवार सिंह के नाम करवा दी थी। इसलिये रामकुंवार सिंह ने प्रार्थना पत्र विवादित आराजीयात भूमि में से अपना हिस्सा छोड दिया था एवं श्रीनारायणसिंह के नाम से भूमि का अलॉटमेंट कराया था जिस भूमि को सोनूसिंह ने बेचान कर दिया है। इसलिये मृतक गणेशसिंह की भूमि का विरासत का नामांतरकरण उसके तीन पुत्र मूलसिंह, मिट्ठूसिंह व श्रवणसिंह के नाम ही आपसी सहमति से खुला। अब जमीन के भाव बढ गये हैं एवं गैरसायल सं. 2 व 3 उक्त भूमि में से उसके खातदार काश्तकार दिलीपसिंह, विजयसिंह, भानूसिंह व गोविन्दसिंह से भूमि का विक्रय कर लिया है। इसलिये अब सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 व 4 लगा. 18 मिलकर आपस में षडयंत्र रचकर गैरसायल संख्या 2 व 3 की खरीदशुदा भूमि को उक्त मुकदमें की आड़ में हडपना चाहते हैं। इसलिये सायलान द्वारा किये गये उक्त प्रार्थना पत्र में अन्य कोई किसी गैरसायलान उपस्थित नहीं हुये है क्योंकि अन्य गैरसायलान, गैरसायल नंबर 2 व 3 की खरीदशुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसलिये उन्होंने झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का अपने पिता रामकुंवार के हिस्से पर आज भी काबिज होने की हद तक स्वीकार है एवं सायलान का यह कहना गलत है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, चूंकि सायलान के पिताजी के हिस्से में आयी भूमि को सायलान के पिताजी एवं गैरसायल संख्या 1 व 4 लगायत 18 के पूर्वजों ने शामिल में विक्रय किया था एवं आपसी पारिवारिक बंटवारे में उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के पिताजी के नाम करवा दिया था। अब सायलान के मन में बदयान्ति आ गयी है। इसलिये सायलान ने झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान का यह कहना भी गलत है कि दिनांक 01.06.2023 को हम अपनी आराजी में जोत लगाने गये तो गैरसायलान हाथों में लाठी, डण्डे, फरसे लेकर आ गये व गालियां देने लगे व कहने लगे कि आज तक आपने इन खेतों की फसल को खा कमा लिया बल्कि सही बात यह है कि जब सायलान को उनके हिस्से की भूमि दूसरी जगह मिल गयी तो फिर उनको उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं है एवं ना ही उक्त भूमि पर कभी भी सायलान का कब्जा रहा है। जब सायलान का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा ही नहीं रहा है तो फिर गैरसायलान द्वारा सायलान को धमकी देने व रहन, बेचान करने की धमकी देने वाली बात बडी हास्याप्रद है। उक्त भूमि से सायलान का किसी प्रकार कोई लेना–देना नहीं है तो फिर गैरसायलान द्वारा सायलान को किस बात की धमकी दी जा सकती है, यह बात समझ से परे लगती है। जब सायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

नहीं है तो फिर सायलान का यह कहना कि दिनांक 01.06. 2023 को गैरसायलान ने सायलान की कब्जे शुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी हो बल्कि सही बात यह है कि आज तक सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई बातचीत नहीं हुयी है, सायलान द्वारा झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्राईमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है क्योंकि सायलान का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायलान के पिता स्व. श्री रामकुंवार सिंह व अन्य भाई मूलसिंह, श्रीनारायण सिंह, मिसिंह व श्रवणसिंह के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा हुआ था जिसमें सायलान के पिताजी एवं गैरसायलान के पिताजी ने शामलाती में खाता संख्या 62 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हक्टेयर भूमि को खरीदकर रामकुंवार सिंह के नाम करवा दी थी एवं श्रीनारायणसिंह के नाम खाता संख्या 458 कुल किता 5 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि करवा दी थी। इसलिये मृतक गणेश सिह की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सभी भाईयों ने पारिवारिक बंटवारे के अनुसार केवल तीन भाईयों मूलसिह, मिठूसिह व श्रवणसिंह के नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवाया था। इसलिये सायलान का यह कहना गलत है कि प्रार्थना पत्र विवादित आराजीयात भूमि में उनका हक निहित है। गैरसायल संख्या 2 व 3 ने भूमि के खातेदार काश्तकारी श्री दिलीपसिंह, विजयसिंह, भानूसिंह व गोविन्दसिंह से अपने हिस्से की भूमि को खरीद किया है एवं नियमानुसार रजिस्टर्ड विक्रय तस्दीक करवाकर अपने नाम नामान्तरकरण भी खुलवा लिया है एवं अपनी खरीदशुदा भूमि पर खरीद किये जाने की दिनांक से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अब जमीन के भाव बढ गये है, इसलिये सायलान के मन में बदयान्ति आ गयी है। इसलिये सायलान एवं अन्य सभी गैरसायलान ने अपनी मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर यह मुकदमा पेश किया है जिसका प्रमाण यह है कि गैरसायल संख्या 2 व 3 के अलावा अन्य सभी गैरसायलान में से कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। सभी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही की गयी है। इसलिये सायलान द्वारा झूठे एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात का अप्रार्थी सं. 2 व 3 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अतिरिक्त किसी भी अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद पत्र के जरिये सायलान विवादित आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते हैं जिनका निर्धारण वाद पत्र में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण के आधार पर तय किया जाना संभव होगा। इस दौरान रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा। अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग–उपयोग में बाधा से अप्रार्थी सं. 2 तथा 3 को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र में निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बाबडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 1878, 577, 585, 586, 587 के सम्बन्ध में, इस न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.07.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज